


सर्व संबंधित
ईकाई / पर्यवेक्षक
पूर्व मध्य रेल दानापुर

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये शिशु शिक्षण भत्ता के संबंध में।
संदर्भ- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.03.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन निम्नवत की जाती है।


(क) संदर्भित पत्र के माध्यम से यह सूचित की गई थी, की **Bonafied Certificate** शिक्षण संस्थान द्वारा संस्थान के लेटर पैड(मुहर सहित) पर प्राधिकृत रूप से जारी किया गया हो,कि मूल प्रति इस कार्यालय में जमा की जाय। परन्तु उपरोक्त को संशोधित करते हुये पुनः यह सूचित की जाती है,की शिक्षण संस्थान द्वारा संस्थान के लेटर पैड (मुहर सहित)पर जारी किया जाना अनिवार्य/आवश्यक नहीं है, अपितु संदर्भित पत्र दिनांक 20.03.2023 के साथ संलग्न प्रपत्र **Annexure-B** में शिक्षण संस्थान के प्रमुख/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित(मुहर सहित) प्राधिकृत रूप से जारी की गई **Bonafied Certificate** की मूल प्रति दे सकते है, वह मान्य है/देय है।

(ख) संदर्भित पत्र के पैरा संख्या-5 में वर्णित केवल हास्टल सब्सिडी की अदायगी मामले में भुगतान किये गये शुल्क की (मदवार) मूल प्राप्ती रसिद देना अनिवार्य है।
शेष शर्तें यथावत है।


मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/दानापुर

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

- 1.मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सामान्य)-कृपया मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अ.मं.रे.प्र./ईन्फा एवं परिचालन महोदय के सादर सूचनार्थ।
- 3.सभी शाखा अधिकारी दानापुर मंडल।
- 4.संबंधित यूनियन एवं एसोसियेशन दानापुर मंडल।


कृते मंडल रेल प्रबंधक(क)।
पूर्व मध्य रेल/दानापुर